रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग I खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 132] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 1974/ज्येष्ठ 10, 1896

No. 132] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 1974/JYAISTHA 10, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st May 1974

SUBJECT.—*Procedure for making rupee deposits to Government account by means of demand draft in respect of import financed under the Direct Payment Procedure as applicable to various foreign loans/credits.*

No. 74-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 233-ITC(PN)/68, dated the 24th October, 1968 wherein the procedure for making rupee deposits to Government account either in cash or by means of demand draft in respect of imports financed under the direct payment procedure applicable to various foreign credits has been prescribed.

2. The classification of Government transactions has been revised with effect from 1st April, 1974. According to the revised classification the rupee deposits into Government account in cash or demand draft in the cases referred to in para 1 above are to be made under the head of account "K—Deposits and Advances—(b) Deposits not bearing interest—843 Civil Deposits—Deposits for purchases etc. abroad. Purchases under credit/loan Agreements....*" "*(the appropriate loan or credit number and description thereof to be indicated).

3. The above head of account should be noted in the Treasury Challans in respect of rupee deposits made in cash or by demand draft in respect of imports financed under the Direct Payment Procedure as applicable to various foreign credits/loans.

4. Attention is also invited to the late Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 132-ITC(PN)/71, dated the 5th October, 1971 wherein the particulars required to be filled in the Treasury Challan have been prescribed. However, it has been observed that in a number of cases the challans do not contain the required information with the result that the deposits remain unadjusted and release of Bank Guarantee is delayed. In order to obviate the delays in carrying out the adjustments and the release of Bank Guarantee, the format of the Treasury Challan has been revised. The revised form of the Treasury Challan is also being standardised as a treasury form. The forms will be printed and supplied to the Treasuries/Banks for being made available to the remitters in due course. Till the printed forms are made available typed copies of the revised challan form may be used for remittance of the rupee equivalent of the amounts paid in foreign curency plus interest thereon. The revised format of the Treasury Challan is published as annexure to this Public Notice. In all future cases of deposits to Government account arising out of foreign loans/credits transactions under the direct payment procedure, the revised form of treasury challan should invariably be used by the importers and their authorised dealers in foreign exchange.

ANNEXURE

Challan for remittance of Cash (including Demand Drafts) into the State Bank of India Tis Hazari or Reserve Bank of India, New Delhi for depositing rupee equivalent of foreign currency payments made out of loans/credits received from foreign countries under the direct payment procedure

To be filled by remitter

By whom rendered	Name, designation & address of the person on whose behalf money is deposited	Ministry of Fin. letter of authority No. letter of Instruction No. and date	Description of loan/credit	Full particulars of the remittance and authority, if any								
				Amount in foreign currency in respect of which rupee deposits are being made	Date of payment to the supplier	Composite rate adopted for conversion	Rupee equivalent of the foreign currency	Interest amount deposited	Period for which interest is paid	Total amount deposited (col. 8	Head of account	Accounts Officer by whom adjustable
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Name	Here enter importer's name and address					**K-Deposits and Advances 843 Civil Depoits—Deposits for purchases etc. abroad—purchases under credit/loan Agreements.				(In words & figures)	**Accountant General Central Revenues New Delhi	

Received payment (in words) Rs. ....

Treasurer Accountant T.O./Agent

[P.T.O.

		Amount
		Rs. P.
Particulars	Coin	
	Notes with details	
	cheques with details	
	(Here enter DD particulars No. and date............(to be filled in by importers/his bank)	

NOTES :

1. Column 9. For purposes of calculating interest the date of posting the demand draft will be deemed to be date of deposit of rupee equivalent in the Government account.

2. Column 10. Here specify, date, month and year (From the date of payment to the foreign supplier to the date of deposit both days inclusive).

3. Columns 9 & 10. Need not be filled in, in the case of pre-deposits.

4. Column 12. The appropriate loan or credit number and its description should be entered as "detailed head".

5. Original challan of remittance should be sent to the Controller of Aid Accounts & Audit Ministry of Finance (Dept. of Economic Affairs), Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi 1, by the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi 6/R.B.I., New Delhi. The duplicate copy will be sent to the remitter. The triplicate and quadruplicate copies will be sent to the Tresrury Officer, Delhi, who will retain one copy for his record and send the other copy to the A.G.C.R.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 मई, 1974

विषय.—विभिन्न विदेशी ऋणों/उधारों के लिये लागू प्रत्यक्ष भुगतान क्रियाविधि के अधीन वित्तदान किये गये आयातों के संबंध में डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से सरकार के लेखे में रुपया निक्षेप करने के लिये क्रियाविधि।

सं 74 आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 233-आई०टी०सी० (पी०एन०)/68 दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिस में विभिन्न विदेशी ऋणों के लिये लागू प्रत्यक्ष भुगतान क्रियाविधि के अधीन वित्त-दान किये गये आयातों के संबंध में या तो नकद में या डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से सरकार के लेखे में रुपया निक्षेप करने के लिये क्रियाविधि निर्धारित की गई है।

2. सरकार के कार्य—विवरण का वर्गीकरण 1-4-74 से संशोधित कर दिया गया है। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित मामलों में नकद में या डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप "के-डिपोजिट्स एंड एडवान्सिज-(बी) डिपोजिट्स नाट बियरिंग इन्टरेस्ट—843 सिविल डिपोजिट्स/डिपोजिट्स फार परचेज एटसट्रा एब्रोड/परचेज अन्डर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंट*"—————————*(उचित ऋण या साख सं० और उसका विवरण निर्दिष्ट किया जाना है) लेखा शीर्ष के अन्तर्गत किये जाते हैं।

3. विभिन्न विदेशी उधारों/ऋणों के लिये लागू प्रत्यक्ष भुगतान क्रियाविधि के अधीन वित्तदान किये गये आयातों के संबंध में नकद में या डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा किये गये रुपया निक्षेपों के संबंध में उपर्युक्त लेखा शीर्ष राजकोष चालानों में लिखा जाना चाहिये।

4. भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5 अक्तूबर, 1971 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें राजकोष चालान में भरा जाने वाला अपेक्षित ब्यौरा निर्धारित किया गया है। लेकिन यह देखा गया है कि कई मामलों में चालानों में अपेक्षित सूचना नहीं होती जिसका परिणाम यह होता है कि निक्षेप असमंजनीय रह जाते हैं और बैंक गारन्टी की रिहाई में विलम्ब होता है। रुपया निक्षेपों में समंजनों और बैंक गारन्टी की रिहाई में विलम्ब को दूर करने के लिये राजकोष चालान की आकृति को संशोधित किया गया है। राजकोष चालान के संशोधित प्रपत्र को राजकोष प्रपत्र के रुप में भी मानांकित किया जा रहा है। प्रपत्र मुद्रित किया जाएगा और उचित समय के दौरान प्रेक्षकों को उपलब्ध कराने के लिये राजकोषों/बैंकों को भेजा जाएगा। जब तक मुद्रित प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएं तब तक संशोधित चालान प्रपत्र की टंकित प्रतियां विदेशी मुद्रा में चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपया और उस पर ब्याज के परेक्षण के लिये उपयोग की जा सकती है। राज-कोष चालान की संशोधित आकृति इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध के रुप में प्रकाशित की जाती है। प्रत्यक्ष क्रियाविधि के अधीन विदेशी ऋणों/उधारों के सौदों से संम्बन्धित सरकार के लेखे में निक्षेपों के भविष्य में सभी मामलों में राजकोष चालान का संशोधित प्रपत्र आयातकों और उनके विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अवश्य उपयोग किया जाना चाहिये।

अनुबंध

प्रत्यक्ष भुगतान क्रियाविधि के आधीन विदेशों से प्राप्त किये गये ऋणों/उधारों में से विदेशी मुद्रा भुगतान के बराबर रुपया निक्षेप करने के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी या रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में नकद में (डिमान्ड ड्राफ्ट सहित) धन परेषण के लिये चालान

प्रेषक द्वारा भरा जाना है।

किस के द्वारा अदा किया गया	जिसकी ओर से धन निक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता	वित्त मंत्रालय के प्रधिकार पत्र/अनुदेश पत्र की संख्या और दिनांक	ऋण/उधार का विवरण
1	2	3	4
नाम	यहां आयातक का नाम और पता प्रविष्ट कीजिये।		

धन परेषण और प्राधिकारी, यदि कोई है, का पूरा ब्यौरा

जिस धनराशि के लिये रुपया निक्षेप किया जा रहा है, विदेशी मुद्रा में वह धनराशि	संभरक को भुगतान की स्थिति	परिवर्तन के लिये अपनायी गई मिश्रित दर	विदेशी मुद्रा के तुल्य रुपया	जमा की गई ब्याज की धन राशि
5	6	7	8	9

अवधि जिसके लिये ब्याज चुकाया गया है	निक्षेप की गई कुल धनराशि (कालम 8—9)	लेखा शीर्ष	लेखा अधिकारी जिसके द्वारा समंजीनय है।
10	11	12	13
	(शब्दों और अंकों में)	"के डिपोजिटस एंड एडवांसिज 843 डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजेस एटसट्रा एब्रोड—परचेजिस अन्डर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंट. . . ."	महालेखापाल, केन्द्रीय सिविल राजस्व, नई दिल्ली

भुगतान प्राप्त किया (शब्दों) रुपये

खजानची लेखापाल एजेन्ट को

[क्रु० पृ० उ०

पृष्ठ भाग

ब्यौरे	सिक्के	धनराशि	
	नोट ब्यौरे सहित	रुपये	पैसे
	चैक ब्यौरे सहित		

(यहां डिमान्ड ड्राफ्ट का ब्यौरा संख्या और दिनांक——प्रविष्ट कीजिये)
(आयातकों / उसके बैंक द्वारा भरा जाना है)

टिप्पणियां :

1 कालम 9 ब्याज की गणना करने के लिये डिमान्ड ड्राफ्ट को दर्ज करने की तिथि सरकार के लेखे में निक्षेप करने की तिथि मानी जाएगी।

2. कालम 10 यहां दिनांक, मास और वर्ष (विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से निक्षेप करने की तिथि तक दोनों दिनों सहित) निर्दिष्ट कीजिये।

3. कालम 9 तथा 10 पहले ही निक्षेप किये गये मामले में भरने की आवश्यकता नहीं।

4. कालम 12 उचित ऋण या क्रेडिट सं० और इसका विवरण "विस्तृत शीर्ष" के रूप में प्रविष्ट करना चाहिये।

5. धन परेषण का मूल चालान स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली-6/रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली, द्वारा सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1 को भेजा जाना चाहिये। अनुलिपि प्रति प्रेषक को भेजी जाएगी। तीसरी और चौथी प्रतियां राजकोष अधिकारी, दिल्ली को भेजी जाएगी जो एक प्रति अपने रिकार्ड के लिये रख लेगा और दूसरी प्रति महा-लेखापाल, केन्द्रीय राजस्व को भेजेगा।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974